-:निर्णय:-

दिनांक :- 17.10.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र **जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्री रामकुमार कस्वां** अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थीगण के नाम चक 39 एसएसडब्लयू के खाता सख्या 62/45 में 14.6704 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रार्थी के नाम 1135/7337 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 1 के नाम 2327/14674 हिस्सा व प्रार्थी एंव अप्रार्थी सख्या 1 ता 4 की माता सुखदेव कौर का 1223/7337 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 के पति व पिता स्वर्गीय गुरमुख सिंह के नाम 2447/29348 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 8 का 95/7337 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 9 का 84/7337 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 का 633/29348 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 11 का 2/29 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 12 का 95/7337 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 13 का 633/29348 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 14 का 316/7337 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 15 का 5/58 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 16 का 372/7337 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 17 का 2447/29348 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 18 का 175/7337 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तफसील आराजी निम्न प्रकार है –

चक 39 एसएसडब्लयू, खाता सख्या 62/45 पत्थर नम्बर 80/314 (42) किला नम्बर 1, 10, 11 प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 81/306 (11) किला नम्बर 16/1/0.2280, 16/2/0.0250, 17, 21, 22, 23, 24 प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर, 25/1/0.2280, 25/2/0.0250 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 81/307 (12) किला नम्बर 1/0.2530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 81/308 (19) किला नम्बर 4/0.2530, 5/1/0.2280, 5/2/0.0250, 6/1/0.2280, 6/2/0.0250, 7 ता 14 प्रत्येक 0.2530, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250, 16/1/0.2280, 16/2/0.0250, 17 ता 24 प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर, 25/1/0.2280, 25/2/0.0250 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 81/309 (20) किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर, 5/1/0.2280, 5/2/0.0250, 6/1/0.2280, 6/2/0.0250, 7 ता 14 प्रत्येक 0.2530, 15/1/.2280, 15/2/.0250, 16/1/0.2280, 16/2/0.0250, 17 ता 24 प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर, 25/1/0.2280, 15/2/0.0250 हैक्टेयर कुल तादादी 14.674 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता कमाण्ड नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित 14.6740 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी सख्या 1 को 1135/7337 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की माता सुखदेव कौर के नाम से 1223/7337 हिस्सा दर्ज कागजात माल पटवार है। प्रार्थी की माता सुखदेव कौर का

देहान्त हो चुका है। सुखदेव कौर की उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है। सुखदेव कौर के देहान्त बाद उनके नाम की भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 हकदार है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने घरू बंटवारा कर लिया है तथा अप्रार्थी सख्या 2 ता 4, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सगी बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हक त्याग कर दिया है जिस पर प्रार्थी व प्रतिवादी सख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि के साथ साथ अपनी स्वर्गीय माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज 1223/7337 हिस्सा की भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार अपनी माता के नाम की कृषि घोषणा करवाकर अपना नाम प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 दर्ज करवाने के अधिकारी है। उनके हक त्याग के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, स्वर्गीय सुखदेव कौर के नाम दर्ज भूमि 1223/7337 के बहिस्सा बराबर के हकदार है तथा मौका पर काबिज चले आ रहे है। परन्तु भूमि अब तक स्वर्गीय सुखदेव कौर के नाम से दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है व प्रार्थी सरकारी लाभो से वंचित हो रहे है।

अतः प्रार्थी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि स्वर्गीय सुखदेव कौर के नाम दर्ज भूमि 1223/7337 के प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 स्वर्गीय सुखदेव कौर के नाम दर्ज भूमि एंव स्वंय अपने नाम दर्ज भूमि के खातेदार काश्तकार है परन्तु उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 एंव अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 की संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें सह सहकाश्तकार संयुक्त खाता की भूमि का बेचान दीगर (अजनबी) व्यक्तियों को विक्रय करते रहते है जिससे सहकाश्तकारो को भूमि का विभाजन करने में परेशानी होती है इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा का अपने कब्जा काश्त एंव अच्छी मंदी किस्म एंव रास्ता खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर विभाजन करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है। जिसका अभी तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है परन्तु अप्रार्थीगण संयुक्त खाता की भूमि में से अच्छी अच्छी एंव अधिक उपजाउ भूमि बिना विभाजन करवाये अजनबी व्यक्तियों को विक्रय कर रहे है जिससे सहकाश्तकारो को अनावश्यक परेशानी हो रही है एंव आये दिन कब्जा को लेकर विवाद रहता है परन्तु अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज संयुक्त हिस्सा का फायदा उठाकर भूमि अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने एंव प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में नाजायज दखलंदाजी करने पर उतारू है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू वादीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वाद बेसुद हो जावेगा तथा प्रार्थी व सहकाश्तकारान को अपूर्णीय क्षति होगी व आयंदा मुकदमेंबाजी बढेगी।

इसलिए प्रार्थी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि कोई भी सह काश्तकार बिना विभाजन करवाये दीगर व्यक्तियों को रहन, बैय करने या अथवा अन्य किसी तरीके से मुंतकिल करने से ममनू व बाज रहे एंव कोई भी अजनबी क्रेता विभाजन से पूर्व संयुक्त खाता की भूमि में कब्जा प्राप्त ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति विभाजन होने तक बनाये रखे।

लिहाजा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि चक 39 एसएसडब्लयू के खाता सख्या 62/45 की 14.674 हैक्टेयर भूमि को कोई भी सहकाश्तकार बिना विभाजन करवाये दीगर व्यक्तियों को रहन, बैय करने या अथवा अन्य किसी तरीके से

मुंतकिल करने से ममनू व बाज रहे एंव कोई भी अजनबी क्रेता विभाजन से पूर्व संयुक्त खाता की भूमि में कब्जा प्राप्त ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति विभाजन होने तक बनाये रखे, आदि आदि तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश का अनुतोष याचित किया गया।

≈ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई अप्रार्थी सं. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17 **की ओर से अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह** उपस्थित व अप्रार्थी सं. 5, 6, 7 व 17 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मद संख्या 1 में दर्ज तथ्य मात्र वाद-पत्र प्रस्तुत करने की हद तक स्वीकार है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज तथ्य रिकार्डेड है, जो स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज तथ्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अपनी माता सुखदेव कौर के वारिस प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 होने के कथन करते हुए अप्रार्थी सख्या 2 ता 4 द्वारा हक त्याग दर्शाते हुए सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी की घोषणा बाबत अनुतोष याचित किया है। प्रथम दृष्ट्या मामला हेतु प्रार्थी को हक त्याग अपने पक्ष में साबित करना आवश्यक है तथा प्रार्थी की माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी से हम अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नही है इसलिए हक त्याग आदि के तथ्य हम अप्रार्थीगण से सम्बन्धित नही है।

प्रार्थना पत्र की मद सख्या 4 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढ्त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी की माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी से हम अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नही है इसलिए हक त्याग आदि के तथ्य हम अप्रार्थीगण से सम्बन्धित नही है। हम अप्रार्थीगण चक 39 एसएसडब्ल्यू, खाता सख्या 62/45 के सह-खातेदार है। खाता सख्या 62/45 में हम अप्रार्थी सख्या 5 ता 7 के पिता गुरमुख सिंह के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा जिसका विरातसन नामान्तरण हम अप्रार्थीगण करवाने के अधिकारी है। उक्त प्रार्थना पत्र में पारित स्थगन आदेश से हम अप्रार्थीगण, गुरमुख सिंह के नाम दर्ज आराजी का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने से वंचित हो रहे है जिस कारण हम अप्रार्थीगण को अनेक परेशानीयों का सामना करना पड रहा है तथा हम अप्रार्थीगण, गुरमुख सिह के जायज व कानूनी वारिस व अप्रार्थी संख्या 17 के नाम राजस्व अभिलेख में आराजी दर्ज होने के कारण खातेदार काश्तकार है जो अपने आधिपत्य व धारण की आराजी को किसी भी प्रकार से उपभोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है।

प्रार्थी, हम अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा कानूनन भी खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 5 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढ्त होने के कारण अस्वीकार है। हम अप्रार्थीगण अपने आधिपत्य व धारण की आराजी को किसी भी प्रकार से उपभोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है।

यह है कि प्रार्थी, हम अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा ना ही हम अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार का घोषणा का अनुतोष प्रार्थी द्वारा याचित किया गया है। मात्र सह खातेदार होने के कारण हम अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। कानूनन भी खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता। स्थगन आदेश के प्रभावी रहते

ए हम अप्रार्थीगण अपने आधिपत्य व धारण की आराजी का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग पभोग करने तथा वितीय संस्था से वितीय सुविधा तथा समय समय पर सरकार द्वारा चलाई ा रही योजनाओ से वचित हो रहे है, यदि स्थगन आदेश प्रभावी रहता है तो हम अप्रार्थीगण ापनी आराजी का उपयोग उपभोग करने तथा वितीय संस्था से वितीय सुविधा तथा समय ामय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ से वचित हो जायेगे, जिस कारण हम ाप्रार्थीगण को भारी परेशानीयों का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का ंतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे नही होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। ार्थी, हम अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नही तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण संख्या 8, 11, 12, 15 ने उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इन कथनो के साथ पेश किया कि प्रार्थना पत्र की रण संख्या 1 में दर्ज तथ्य मात्र वाद-पत्र प्रस्तुत करने की हद तक स्वीकार है जिसमें प्रार्थी ो कामयाबी की कोई आशा नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज तथ्य रिकार्डेड है, ो स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज तथ्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। ार्थी द्वारा अपनी माता सुखदेव कौर के वारिस प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 होने के कथन रते हुए अप्रार्थी सख्या 2 ता 4 द्वारा हक त्याग दर्शाते हुए सुखदेव कौर के नाम दर्ज ाराजी की घोषणा बाबत अनुतोष याचित किया है। प्रथम दृष्टया मामला हेतु प्रार्थी को हक ्याग अपने पक्ष में साबित करना आवश्यक है तथा प्रार्थी की माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज ाराजी से हम अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नही है इसलिए हक त्याग आदि के तथ्य हम ाप्रार्थीगण से सम्बन्धित नही है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 4 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढत ोने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी की माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी से हम ाप्रार्थीगण का कोई सरोकार नही है इसलिए हक त्याग आदि के तथ्य हम अप्रार्थीगण से म्बन्धित नही है। हम अप्रार्थीगण चक 39 एसएसडब्ल्यू, खाता सख्या 62/45 के सह ातेदार है। हम अप्रार्थीगण अपने नाम राजस्व अभिलेख में आराजी दर्ज होने के कारण ातेदार काश्तकार है जो अपने आधिपत्य व धारण की आराजी को किसी भी प्रकार से उपभोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की ेयत से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है। प्रार्थी, हम ाप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का धिकारी नही है तथा कानूनन भी खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी भी प्रकार का स्थगन ादेश पारित नही किया जा सकता। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 5 में दर्ज तथ्य झूठे व नगढत होने के कारण अस्वीकार है। हम अप्रार्थीगण अपने आधिपत्य व धारण की आराजी को किसी भी प्रकार से उपभोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण को ंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल ारिजी है।

यह है कि प्रार्थी, हम अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा ना ही हम अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार का घोषणा का अनुतोष प्रार्थी द्वारा याचित किया गया है। मात्र सह खातेदार होने के कारण हम अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। कानूनन भी खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता। स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए हम अप्रार्थीगण अपने आधिपत्य व धारण की आराजी का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग उपभोग करने तथा वितीय संस्था से वितीय सुविधा तथा समय समय पर सरकार द्वारा चलाई

जा रही योजनाओ से वचित हो रहे है, यदि स्थगन आदेश प्रभावी रहता है तो हम अप्रार्थीगण अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने तथा वितीय संस्था से वितीय सुविधा तथा समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ व आवश्यकता अनुसार रहन, बैय आदि की सुविधा प्राप्त करने से वचित हो जायेगे, जिस कारण हम अप्रार्थीगण को भारी परेशानीयों का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे नही होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

यह है कि प्रार्थी, हम अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते हैः-

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में है तथा प्रार्थी द्वारा अपनी माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज 1223/7337 हिस्सा आराजी में घोषणा बाबत अनुतोष याचित किया है, शेष अप्रार्थीगण को मात्र सह खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी सख्या 5 ता 18 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की घोषणा का अनुतोष याचित नही किया गया है। खातेदार सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी के अलावा अन्य सह खातेदारान/अप्रार्थीगण को बिना किसी औचित्य के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्व निर्णित किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण अभिलिखित काश्तकार है तथा अभिलिखित काश्तकार की हैसियत से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थी द्वारा अपना वाद पत्र सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया है तथा अगर अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडेगा, अगर अस्थाई निषेधाज्ञा को अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 के विरूद्व जारी किया जाता है तो प्रार्थी की बजाय अप्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा होगी इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है तथा अगर सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी में स्थगन अप्रभावी होने के कारण किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन हो जाता है तो वादी के हित प्रभावित हो सकते है,

न कारण सुविधा के संतुलन का बिन्दू अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 के पक्ष में तथा अप्रार्थी ख्या 1 ता 4 के पक्ष में नहीं है। राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार के खिलाफ यदि गन आदेश जारी किया जाता है तो अप्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों का उपयोग व उपभोग से चेत हो सकते है। न्यायालय के अभिमत में अप्रार्थीगण सं. 5 ता 18 को असुविधा हो कती है।

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी शतात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

खातेदार सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी में स्थगन अप्रभावी होने की स्थिति में प्रार्थी को क्षति हो सकती है तथा शेष सह खातेदार अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 को अगर उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी में स्थगन प्रभावी रहे तो उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आवश्यक बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला एंव सुविधा का संतुलन को अप्रार्थी सख्या 5 ता 18 के विरुद्ध साबित करने में असफल रहा है और उक्त दोनो बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 के पक्ष में होना प्रतीत होता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विपक्ष में निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

-ःक्रिन्याविति आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगनादेश दिनांक 10.02.2023 को संसोधित करते हुए चक नम्बर 39 एसएसडब्लयू, खाता संख्या 62/45 में दर्ज 14.674 हैक्टेयर में मात्र खातेदार सुखदेव कौर के नाम दर्ज 1223/7337 हिस्सा की हद तक ता-फैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। शेष खाता तथा अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 के विरुद्ध जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.02.2023 तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी का उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र रहेगे। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ